राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

एफ 4(385) प्रा.शि./एमडीएम/ खाद्यान्न (दाल) /2018–19/ 897 जयपुर, दिनांक : 25-09-2018

1. **जिला कलक्टर,**
   जिला समस्त।
2. **जिला शिक्षा अधिकारी**
   (प्रारम्भिक शिक्षा), समस्त।

विषय :– भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार नेफेड से प्राप्त दालों का योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत वितरण एवं उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश

महोदय,

वर्तमान में योजनान्तर्गत दालों का क्रय विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत अर्थात विद्यालय स्तर पर ही कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट में से किया जाता है। भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार दालों का क्रय केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत नेफेड से किया जावेगा, जिसका भुगतान कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में से किया जावेगा।

नेफेड से प्राप्त दालों के उठाव, परिवहन, विद्यालयों तक वितरण, उपयोग एवं भुगतान के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश **परिशिष्ठ "1"** पर संलग्न है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार 1.11.2018 से दालों का वितरण एवं उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(वेद सिंह)
आयुक्त
मिड डे मील

www.rajteachers.com

एफ 4(385) प्रा.शि./एमडीएम/ खाद्यान्न (दाल) /2018–19/ जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर।
10. अति. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, (एमडीएम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
12. महा प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
13. शाखा प्रबन्धक, नेफेड, तृतीय तल, नेहरु सहकार भवन, जयपुर।
14. जिला रसद अधिकारी, जिला समस्त।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)।
16. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समस्त।
17. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)।
18. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, समस्त।
19. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
20. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
21. प्रबन्धक, अक्षयपात्र फउण्डेशन, जयपुर।
22. प्रबन्धक, अदम्य चेतना ट्रस्ट, जोधपुर।
23. प्रबन्धक, अन्नामृत फउण्डेशन, जयपुर।
24. प्रबन्धक, क्यूआरजी फउण्डेशन, अलवर।
25. समस्त संचालक, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति।
26. प्रभारी आईटी सैल कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
27. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उपायुक्त (क्रि. एवं मो.)
मिड डे मील

परिशिष्ट "1"

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार नेफेड से प्राप्त दालों का योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत वितरण एवं उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश

वर्तमान में मिड डे मील योजना से राज्य के कुल 66506 राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर्स में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 62.22 लाख छात्र–छात्राऐं लाभान्वित हो रहे है। पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थियों को निम्न निर्धारित मेन्यू के अनुसार मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है :–

क॰सं॰	वार	भोजन का विवरण
1	सोमवार	रोटी – सब्जी
2	मंगलवार	चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3	बुधवार	रोटी – दाल
4	गुरूवार	खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5	शुक्रवार	रोटी – दाल
6	शनिवार	रोटी – सब्जी

1. सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है।
2. सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य।
3. कक्षा 1 से 5 तक के छात्र–छात्राओं को 150 एमएल कक्षा 6 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को 200 एमएल दूध की प्रत्येक शैक्षणिक दिवस को उपलब्धता।

भारत एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में (मेन्यू अनुसार) सामग्री (गेहूँ/चावल, दाल , तेल, मसाले, आदि) की मात्रा निम्नानुसार निर्धारित हैः–

www.rajteachers.com

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा प्रतिदिन /प्रतिछात्र (मेन्यू अनुसार)	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
01	खाद्यान्न (गेहूँ/चावल)	100 ग्राम	150 ग्राम
02	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
03	सब्जी (पत्तीदार सब्जियों सहित)	50 ग्राम	75 ग्राम
04	तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
05	नमक एवं मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिये 100 ग्राम एवं कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों के लिये 150 ग्राम प्रतिछात्र प्रतिदिन खाद्यान्न (गेहूँ/चावल), भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। दाल, सब्जी, तेल, मसालों एवं ईंधन के क्रय के लिये कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका वहन 60:40 के अनुपात में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिये कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट 4.13 एवं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिये 6.18 की दर से प्रतिछात्र प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जा रही है।

2. दालों का क्रयः–

वर्तमान में योजनान्तर्गत दालों का क्रय विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत अर्थात विद्यालय स्तर पर ही कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट में से किया जाता है। **भारत सरकार के नवीनतम** निर्देशों **के अनुसार दालों का क्रय केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत नेफेड से किया जावेगा, जिसका भुगतान कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में से किया जावेगा। नेफेड से प्राप्त दालों का वितरण एवं उपयोग योजनान्तर्गत दिनांक 01.11.2018 से प्रारम्भ किया जायेगा।**

3. दालों का आवंटन एवं भण्डारणः–

मिड डे मील आयुक्तालय द्वारा जिलों की मांग के अनुसार, दालो का आवंटन आदेश, सम्बन्धित विभागों एवं जिला कलक्टर्स को जारी किया जावेगा। आयुक्तालय द्वारा जारी आवंटन आदेश के अनुसार, नेफेड द्वारा, उच्च गुणवत्तापूर्ण दालों को भारतीय खाद्य निगम के जिला मुख्यालय पर स्थित गोदामों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दालों के भण्डारण की व्यवस्था की जावेगी। नेफेड द्वारा आपूर्ति की गई दालों के रख रखाव हेतु भारतीय खाद्य निगम के जिला स्थित गोदामों की सूची, दालों की आपूर्ति प्राप्त किये जाने वाले भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रारम्भिक शिक्षा के जिला स्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिलेवार सूची शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जावेगी। उक्त सूचियों के अनुसार संबंधित अधिकारी नेफेड द्वारा आपूर्ति की गई दालों को जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उतरवाने से पूर्व **बिन्दु संख्या 5 (ii)** के अनुसार गुणवत्ता जॉच करने एवं आवंटित मात्रा के अनुसार दालों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगें।

www.rajteachers.com

4. उठाव, परिवहन एवं विद्यालयों तक वितरणः–

खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की भाँति ही दालों के उठाव, परिवहन एवं विद्यालयों तक वितरण कार्य हेतु **खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, नोडल संस्था एवं जिला रसद अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।**

सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी, आयुक्तालय द्वारा जारी आवंटन आदेश के अनुसार जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामंजस्य से, खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की भांति ही, दालों के उठाव, परिवहन व विद्यालयों एवं अन्य कुकिंग ऐजेन्सीज तक समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे।

5. दालों की गुणवत्ता जॉचः–

मिड डे मील योजनान्तर्गत नेफेड से आपूर्ति की जाने वाली दालों की गुणवत्ता की जॉच निम्न तीन स्तर पर की जावेगीः–

i. **नेफेड द्वारा दाल मिल्स स्तर** पर :– नेफेड द्वारा दाल मिल्स पर दालों की गुणवता की जॉच NABL Accredited प्रयोगशाला अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाई जावेगी। सम्बनधित प्रयोगशाला द्वारा FSSAI के माप दण्डो के अनुसार दालों की गुणवता का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात ही दालों को जिला स्थित एफसीआई गौदामों तक पहुँचाया जायेगा। दालों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक पहुचाने वाले प्रत्येक वाहन के साथ NABL Accredited प्रयोगशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति एवं आपूर्ति की जाने वाली दालों के सेम्पल्स भिजवाये जायेगें।

ii. **भारतीय खाद्य निगम के गोदामो पर दालों के उतरने से पूर्व** :– नेफेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दालों के भारतीय खाद्य निगम के गोदामो तक पहुँचने के पश्चात जिला स्थित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी दालों का मिलान, दालो के सेम्पल्स से करेगें। दालों का, सेम्पल की दालों से मिलान होने के पश्चात ही दालो को भारतीय खाद्य निगम के गोदामो में रखवाया जायेगा। यदि दालों का सेम्पल्स की दालों से मिलान नही होता है तो दालों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में नही रखवाया जायेगा एवं इसकी सूचना नेफेड व मिड डे मील आयुक्तालय को दी जावेगी।

iii. **खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की जॉच के लिए गठित सयुक्त निरीक्षण समिति स्तर पर** :– भारतीय खाद्य निगम से खाद्याान्न (गेहूँ/चावल) उठाने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण के लिये एक समिति का गठन किया हुआ है जिसमें भारतीय खाद्य निगम का स्थानीय प्रतिनिधि, जिला कलक्टर का प्रतिनिधि, जिला रसद अधिकारी का प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रतिनिधि, कृषि विभाग का अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी सम्मिलित है। उक्त समिति द्वारा मिड डे मील योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य

www.rajteachers.com

निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे खाद्यान्न **''फेयर एवरेज क्वालिटी''** (FAQ) का है, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उक्त संयुक्त निरीक्षण समिति में नेफेड के प्रतिनिधि को शामिल किया जाकर दालों की गुणवत्ता की जॉच NABL Accredited प्रयोगशालाओं अथवा जिला स्तर पर स्थित जन स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं में करवायी जायेगी एवं दालों की गुणवत्ता भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार होने पर ही दालों का उठाव किया जावेगा।

6. भुगतान व्यवस्था :–

नेफेड से क्रय की गई दालों के भुगतान हेतु बिल प्राप्त होने के पश्चात्, वर्तमान में खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) के भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही नेफेड को कुकिंग कन्वर्जन मद में से भुगतान किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देशः–

i. वर्तमान में खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) की भांति ही, दालों का उठाव, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटित मात्रा के अनुसार तुलवाकर /प्राप्त कर पूर्ण मात्रा में व सुरक्षित रूप से प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा।

ii. प्रत्येक विृद्यालय में खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) को तौलकर लेने एवं प्राप्ति की रसीद की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही दालों को तौलकर लेने एवं प्राप्ति की रसीद की व्यवस्था होगी।

iii. भारतीय खाद्य निगम/जिला रसद अधिकारी/नैफेड यह सुनिश्चित करेंगे कि दालें खाद्यान्न (गेहूं /चॉवल) की भांति ही पूरी मात्रा में सुरक्षित रखी जावे। दाल में किसी भी प्रकार की मिलावट एवं कीडे, मकौडे, इल्लियां, घुण व धूल मिट्टी आदि नहीं हो।

iv. दालों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के जहरीले कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जावे।

v. विद्यालय में दालों का स्टॉक मेन्टेन किया जावे। दालों का स्टॉक खाद्यान्न (गेहूं/चॉवल) के लिये निर्धारित स्टॉक पंजिका में संधारित किया जायेगा।

vi. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दालों के उपयोग एवं राशि व्यय की सूचना मासिक प्रगति रिपोर्ट में भिजवायेंगे।

vii. विद्यालयों में दालों का भण्डारण साफ सुथरे एवं हवा बन्द डिब्बों में किया जावे, दालों के पैकिट को आवश्यकतानुसार ही खोला जावे ताकि नमी से खराब नहीं हो।

www.rajteachers.com

viii. भोजन पकाने के लिए दाल की अच्छी तरह सफाई/धुलाई करने के पश्चात ही उपयोग में लिया जाना चाहिए।

ix. योजनान्तर्गत नेफेड से दालों की आपूर्ति 5 एवं 10 किलोग्राम के निर्धारित पेकिट में की जावेगी। पैकिट पर मिड डे मील का लोगो एवं नेफेड अंकित होने पर ही प्राप्त किया जावे।

x. भारतीय खाद्य निगम के गौदाम से दालों के उठाव से लेकर विद्यालयों तक सुपुर्द करने के दौरान दालें खराब/नष्ट होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी खाद्य विभाग (परिवहनकर्ता) की होगी। इस प्रकार खराब/नष्ट हुई दालों की कीमत नेफेड द्वारा निर्धारित दालों की कीमत के अनुसार वसूल का जायेगी।

xi. वर्तमान में खाद्यान्न (गेहूॅं/चावल) के उठाव एवं विद्यालय तक वितरण के लिये नोडल विभाग/ नोडल अधिकारी एवं परिवहनकर्ताओं के लिये जो नियम /जिम्मेदारी निर्धारित की हुई है वही नियम/जिम्मेदारी दालों के उठाव व विद्यालयों तक वितरण के लिये लागु होंगी।

xii. राज्य/जिला/ब्लाक एवं ग्राम स्तर के किसी भी अधिकारी द्वारा दालों की जॉच करने पर यदि प्रथम दृष्टया दालों की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं पाई जाती है एवं दालें तौल में कम पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी एवं नेफेड से दाल की आपूर्तिकर्ता की जानकारी प्राप्त कर फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने की अनुशंषा की जा सकेगी।

www.rajteachers.com

(वेद सिंह)
आयुक्त
मिड डे मील